



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



आदर्श अस्पताल/ Model Hospital,
भारत नगर, लुधियाना-141001
Phone: 0161-2772435/2775539
Email: ms-ludhiana@esic.nic.in
Website: <https://ludhianahospital.esic.gov.in>

फाइल संख्या: **A-01/10/2022-ADMN**

दिनांक :-**07-04-2025**

ज्ञापन/Memorandum

आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने तथा महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के निवारण, प्रतिषेध व प्रतितोष और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए आंतरिक शिकायत समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया है। /Consequent upon the transfer of Presiding Officer, Internal Complaints Committee, the Competent Authority by exercising the powers under section 4(1) of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 has reconstituted the Internal Complaints Committee to provide protection against sexual harassment to women and for Prevention, Prohibition and Redressal of complaints pertaining to sexual harassment of women employees and for matters connected therewith or incidental thereto as under:

1 डॉ संगीता गुप्ता, सीएमओ (एसएजी) Dr. Sangita Gupta, CMO(SAG)	पीठासीन अधिकारी Presiding Officer
2 श्री सुनील कुमार नेगी, संयुक्त निदेशक Shri Suneel Kumar Negi, Joint Director	सदस्य Member
3 डॉ सीमा, विशेषज्ञ Dr. Seema, Specialist	सदस्य Member
4 डॉ नीलम रानी, विशेषज्ञ Dr. Neelam Rani, Specialist	सदस्य Member
5 श्रीमती आशु गुप्ता Smt. Ashu Gupta	बह्य सदस्य External Member

पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामांकन की तिथि से 3 वर्ष से अनधिक अवधि तक पद पर बने रहेंगे | /The presiding officer and every member of the Internal Complaints Committee shall hold the office for such period, not exceeding three years from the date of nomination.

आंतरिक शिकायत समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में यदि कोई हो तो अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत नियम 14 के साथ पठित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें अधिनियम के अंतर्गत मामलों की संख्या, यदि कोई हो, तथा उनके निपटान का विवरण होगा | / The internal Complaints Committee shall in each calendar year prepare an annual report under section 21 of the said Act read along with rule 14, which shall have details of number of cases filed if any and their disposal under this Act

Digitally signed by
SUNEEL KUMAR NEGI

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) Joint Director (Administration)
Date: 07-04-2025
13:03:53

प्रतिलिपि/Copy to:

1. महानिदेशक, (सतर्कता) मुख्यालय, का.रा.बी.निगम सी.आई.जी. मार्ग नई दिल्ली- को सूचनार्थ।
2. निजी सहायक कक्ष, का.रा.बी.निगम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल लुधियाना- डीन व चिकित्सा अधीक्षक के सूचनार्थ।
3. समिति के सभी सदस्य-सूचनार्थ व अपेक्षित कार्यवाही हेतु।
4. वैबसाइट कंटेंट प्रबंधक मुख्यालय, का.रा.बी.निगम सी.आई.जी. मार्ग नई दिल्ली/ उप निदेशक आईटी का.रा.बी.निगम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल लुधियाना को मुख्यालय की वैबसाइट पर उपलोड करने के निवेदन के साथ।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, का.रा.बी.निगम चंडीगढ़- को सूचनार्थ।
6. उप क्षेत्रीय कार्यालय, का.रा.बी.निगम, लुधियाना- को सूचनार्थ।